न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

4.11.2022

आवेदिका 1 विमला देवी पति स्व0 दुकलाल महतो, 2 शिव शंकर महतो 3 सिताराम प्रसाद दोनों के पिता स्व0 जगदीश महतो 4 मुरली प्रसाद 5 सरयु महतो पिता स्व0 देवकी महतो 6 किरण देवी पति रच0 किशोर महतो 7 भीम महतो 8 महादेव वर्मा 9 जीवलाल वर्मा 10 सहदेव महतो सभी के पिता स्व0 कामेश्वर महतो 11 अंजू देवी पति हुलास महतो 12 अजय महतो पिता धनश्याम महतो 13 सुयाम देवी पति विजय महतो साकिन-बरवाडीह, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:--

| | | | प्लॉट सं0 | · रकवा | किरम |
|---------|----------|----------|-------------|------------------|--------|
| मौजा | थाना नं0 | खाता सं0 | पुराट राज | | |
| बरवाडीह | 251 | 79 | 958 1123 | 29 डी0 07 डी0 | बकास्त |

प्रतिवेदन अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच अंचल निरीक्षक के माघ्यम से प्राप्त करें।साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अंचल अधिकारी, कोडरमा

01.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बरवाडीह, थाना नं0–251, खाता सं0–79, प्लॉट सं0–1123 वगै० रकवा–1 एकड 10.5 डी० प्लॉट सं0-958, रकवा-29 डी० कुल रकवा-1 एकड़ 39.5 डी० भूमि रघु कोयरी पिता जयराम कोयरी के नाम से पंजी—II के पृष्ठ सं0—533 भाग सं0—01 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि सादा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि बकास्त खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं0–03 दिनांक–22.06.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया मौजा–बरवाडीह, थाना नं0—251, खाता सं0—79, प्लॉट प्लॉट सं0—958, रकवा— रकवा—29 डी० प्लॉट सं0—1123, कुल रकवा-07 डी0 भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–बरवाडीह, थाना नं0–251, खाता सं0–79, प्लॉट प्लॉट सं0–958, रकवा– रकवा—29 डी० प्लॉट सं0—1123, कुल रकवा—07 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपित होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

> अंचल अधिकारी, कोडरमा